



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2010/पौष 23, 1931

No. 66]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2010/PAUSA 23, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

का.आ. 75(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 13 जनवरी, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि पर उक्त अधिनियम की धाराएँ 20, 21 तथा 22 प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. सी. 1/1/2009-एसईजेड]

आर. के. मित्रा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2010

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 13th January, 2010 as the date on which Sections 20, 21 and 22 of the said Act shall come into force.

[F. No. C. 1/1/2009-SEZ]

R. K. MITRA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

का.आ. 76(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विदेश व्यापार (विकास तथा

160 GI/2010

विनियम) अधिनियम, 1992 (2005 का 28) के तहत दण्डनीय कृत्यों अथवा त्रुटियों को विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के प्रयोजनार्थ अधिसूचित अपराध के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. सी. 1/1/2009-एसईजेड]

आर. के. मित्रा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2010

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby specifies the acts or omissions punishable under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (28 of 2005) as notified offences for the purposes of the Special Economic Zones Act, 2005.

[F. No. C. 1/1/2009-SEZ]

R. K. MITRA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

का.आ. 77(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (2005 का 28) के तहत दण्डनीय कृत्यों अथवा त्रुटियों को विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित अपराध के रूप में विनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार क्षेत्राधिकारिक विशेष आर्थिक जोन के

(1)

विकास आयुक्त को किसी विशेष आर्थिक जोन में किए गए अधिसूचित अपराधों के सम्बंध में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. सी. 1/1/2009-एसईजेड]

आर. के. मित्रा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2010

S.O. 77(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), has specified the acts or omissions punishable under

the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (28 of 2005) as notified offences for the purposes of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 21 of the Special Economic Zones Act, 2005, (28 of 2005), the Central Government hereby authorises the Development Commissioner of the jurisdictional Special Economic Zone to be the Enforcement Officer in respect of the notified offences committed in a Special Economic Zone.

[F. No. C. 1/1/2009-SEZ]

R. K. MITRA, Director